प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–6/2018/190/64–2–2018–1(68)/2006, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष 2018–19 से ऑनलाईन कर दिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिकृत संस्था 'नीलिट' NIELIT से मान्यता प्राप्त जनपद में कार्यरत संस्थाओं द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के युवक/युवतियों को 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराने हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन किये जाने की तिथि 05 जून, 2018 से 14 जून, 2018 तक होगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट **http://backwardwelfare.up.nic.in** पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर संस्था द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। इस हेतु दिशा–निर्देश/समय सारिणी उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गयी है।

आवेदन करने के उपरान्त संस्था द्वारा ऑनलाइन भरे गये आवेदन की प्रति डाउनलोड कर प्रिन्टआउट प्राप्त कर हस्ताक्षरित करते हुए समस्त अभिलेखों तथा उपलब्ध संसाधनों से संबंधित विवरण सहित निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, 10 वॉ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 के कार्यालय में दिनांक 14 जून, 2018 सांय 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से हार्ड कॉपी में उपलब्ध करायी जायेगी।

संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचना एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण तथा संस्था की आधारभूत संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराते हुए निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा।

Rekha गुप्ता 4/06/2018

(रेखा गुप्ता)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बरेली।